आवश्यक

राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः– एफ.13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/I/53199/2016 दिनांकः- 5/7/2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला......समस्त......

विषयः– जन्म/मृत्यु रिकॉर्ड में नाम में संशोधन बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय पत्रांक 52878 दिनांक 30.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा जन्म/मृत्यु रिकार्ड में तिथि में संशोधन सम्बन्धित मार्गदर्शन प्रेषित किया गया है। इसी क्रम में लेख है कि अधिकांश जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार द्वारा जन्म/मृत्यु रिकार्ड में नाम परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में प्रकरण प्राप्त हो रहे है जबकि नाम परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में समय–समय पर मार्गदर्शन भिजवाया जाता रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म–मृत्यु नियम, 2000 में नाम परिवर्तन का प्रावधान नहीं है, फिर भी नाम में परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों नामों के बीच 'उर्फ' लगाने की अनुमति प्रदान कर रखी है।

न्यायालय आदेशों अथवा वैयक्तिक आवेदनों के माध्यम से विभिन्न भागों से नाम परिवर्तन/संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जा सकता है, यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता से सतुष्ट हो जाता है तो वह जिला रजिस्ट्रार की स्वीकृती उपरान्त नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत है। जहां तक सम्भव हो, सम्बन्धित रजिस्ट्रार नाम में परिवर्तन के सम्बन्ध में 'उर्फ' शब्द का प्रयोग करें और जन्म/मृत्यु रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि करने के पश्चात् जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में दोनों नामों को लिखने का अधिमान दें। यदि आवेदक को 'उर्फ' स्वीकार्य न हो तो नाम में आवश्यक परिवर्तन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर रजिस्ट्रार की सतुष्टि पर किया जा सकता है। उक्त परिवर्तन करने के पश्चात् जन्म/मृत्यु रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिये और रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में शुद्धि की तिथि और दोनों नामों का उल्लेख किया जाना चाहिये।

यह उल्लेखनीय है कि नाम में परिवर्तन एक बार किये जाने के पश्चात् पुनः निषेध होगा और इस सम्बन्ध में आवेदक से एक शपथ पत्र लिया जावे की वह भविष्य में पुनः परिवर्तन/संशोधन नहीं करायेगा। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के दिये गये निर्देशों के अनुसरण में निदेशालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक 3926 दिनांक 23.01.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप यह भी आवश्यक है कि जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में त्रुटि की संभावना नही रहे, इस हेतु जन्म के प्रकरणों में नवजात की मां के नजदीकी रिश्तेदार एवं मृत्यु के प्रकरणों में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कराये जावें, साथ ही जन्म/मृत्यु प्रतिवेदन में भरी गई प्रविष्टियों की जांच करा ली जावे।

अतः इस सम्बन्ध में सभी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को अनुपालना के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें। रजिस्ट्रारों को जन्म/मृत्यु रिकार्ड में नाम में परिवर्तन की प्रथा को प्रोत्साहित न करने के लिए भी निर्देशित करें। साथ ही जन्म/मृत्यु रिकार्ड में परिवर्तन अन्तिम आश्रय के रूप में किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव